<u>नीलाम विज्ञप्ति का प्रारूप</u>

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा (म.प्र.)

क्रमांक : 2997/तीन–03–07/05 खण्डवा, दिनांक : 22/11/2017

नीलाम विज्ञप्ति

जिला न्यायालय, खण्डवा के आधिपत्य का अनुपयोगी शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार क्रमांक **MP-02-AV-0641** की (जहाँ है, जैसी स्थिति में है) नीलामी **शनिवार, दिनांक 06/01/2018** को प्रातः 11 बजे नीलाम किया जाना है।

उक्त शासकीय वाहन का न्यूनतम अपलेखन मूल्य **रू. 25,000/–** (शासकीय बोली) नियत है। उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा के नाम से देय राशि रू. 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है। नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, खण्डवा में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

जिला रजिस्ट्रार,
सिविल कोर्ट, खण्डवा (म.प्र.)

23- Gen LETTER.odt

कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म.प्र.)

नीलामी की शर्ते

क्रमांक 2998 /तीन–03–07/05 खण्डवा, दिनांक 22/11/2017

शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार कमांक MP-02-AV-0641 की नीलाम संबंधी कार्यवाही की निम्नांकित शर्ते नियत हैं :–

01. शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार क्रमांक MP-02-AV-0641 का न्यूनतम अपलेखन मूल्य रू. 25,000/– (शासकीय बोली) नियत है।

02. अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार कमांक MP-02-AV-0641 की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप रू. 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

03. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

04. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलाम के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

05. नीलाम के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

06. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति, नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार कमांक MP-02-AV-0641 को केता को प्रदान किया जावेगा।

07. अनुपयोगी शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार कमांक MP-02-AV-0641 को, अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के सात दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि जमाकर, वाहन को उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि, शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

08. संबंधित शासकीय वाहन का निरीक्षण कार्यालयीन दिवस/समय में, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, खण्डवा में उपस्थित होकर किया जा सकता है।

09. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलाम में उपस्थित होकर वाहन को कय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलाम संबंधी सम्पूर्ण शर्ते स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

10. अनुपयोगी शासकीय वाहन एम्बेसेडर कार कमांक MP-02-AV-0641 को कय करने के पश्चात् केता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय, खण्डवा से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

11. अनुपयोगी शासकीय वाहन विकय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं केता के नाम से रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी केता की होगी।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट, खण्डवा (म.प्र.)

24- Gen LETTER.odt